

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोणडा दिनांक 27.05.2022

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-35 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोणडा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोणडा के थाना कटराबाजार ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—

#### 01. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सन्तराम उर्फ ननके पुत्र स्व0 रामप्यारे नि0 ग्राम रकवा पसका थाना परसपुर जनपद गोणडा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-89 / 22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 02. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. केशवराम पुत्र रामदेव नि0 ग्राम देवी नगर थाना वजीरगंज जनपद गोणडा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-136 / 22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 03. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बिट्टा देवी पत्नी स्व0 सग्राम नि0 बरसैनिया लखपतराय मनकापुर जनपद गोणडा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0-164 / 22, धारा 60 / 60(2) आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 04. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. ननके पुत्र सर्वादीन नि0 केशईपुरवा मौजा नरायणपुर मांझा थाना करनैलगंज जनपद गोणडा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-189 / 22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## **05. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. कुसमा देवी उफ छोटका पत्नी रघुवर निं० ग्राम खिरौरा मोहन थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से २० ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—१९५/२२, धारा ६० आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 27.05.2022**

**परिवारिक कलह में दामाद ने सास व पत्नी को मारा चाकू सास की हुई ईलाज के दौरान मौत, 03 अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकर्त्त्व बरामदः—**

दिनांक 27.05.2022 को वादी सलमान पुत्र खलील निरो महाराजगंज नई बस्ती थाना को० नगर जनपद गोण्डा ने थाना को० नगर में तहरीर दी कि दिनांक 26.05.2022 को मेरा जीजा नसीम अपनी मां व अपने भाईयों के साथ मेरे घर आया था। परिवारिक कलह में जीजा व उसके परिजनों ने मेरी बहन बेबी व मां रेशमा को जान से मारने की नियत से गाली—गुप्ता देते हुए धारदार चाकू से वार कर दिया था। वादी की तहरीर पर थाना को० नगर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। ईलाज के दौरान वादी की मां रेशमा की मृत्यु हो गयी थी। पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा द्वारा घटना को संज्ञान में लेकर क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में तत्काल आरोपी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के निर्देश प्रोनिरो नगर को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त 03 आरोपी अभियुक्तों—01. नसीम, 02. अल्ताफ, 03. बेबी को गिरफ्तार कर लिया गया शेष आरोपी अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना को० नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्तः—**

1. नसीम पुत्र रफीक निरो महाराजगंज थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
2. अल्ताफ पुत्र रफीक निरो महाराजगंज थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
3. बेबी पत्नी रफीक निरो महाराजगंज थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोगः—**

01. मु०अ०सं०—३५४ / २२, धारा ३२३,५०४,५०६,३०७,३०२ भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

**बरामदगीः—**

01. आलाकर्त्त्व चाकू।

**गिरफ्तार कर्ता टीमः—**

- प्रोनिरो पंकज कुमार सिंह थाना को० नगर मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट  
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा  
दिनांक 27.05.2022

नाबालिक लड़की को बहला—फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ  
दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफतारः—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफतारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा नाबालिक लड़की को बहला—फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त सोनू को गिरफतार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना इटियाथोक क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिक लड़की को बहला—फुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के मां द्वारा थाना इटियाथोक में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफतार अभियुक्तः—

01. सोनू पुत्र संदीप निर्जीव दर्जीजोत करमडीह कला थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोगः—

01. मु030स0—100/22, धारा 363,366,376 भादवि व 5ठ/6 पॉक्सो ऐक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफतार कर्ता टीमः—

उनिर्जीव राकेश कुमार मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 27.05.2022**

**नशीली गोलियों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को 0 नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त अफरोज कुरैशी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 95 अल्पाजोलम की टेबलेट बरामद किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को 0 नगर में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. अफरोज कुरैशी पुत्र स्व0 रफीक कुरैशी नि0 पाण्डे बाजार चूड़ी गली थाना को 0 नगर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0—356 / 22, धारा 8 / 22 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना को 0 नगर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. अल्पाजोलम की 95 टेबलेट।

**गिरफ्तार कर्ता—**

उ0नि0 नागेश्वर नाथ पटेल मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 27.05.2022**

**अवैध चरस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को<sup>0</sup> नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त संतोष सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 220 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को<sup>0</sup> नगर में एन०डी०पी०एस० ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. संतोष सिंह पुत्र राम बहादुर सिंह नि<sup>0</sup> सीताराम सिंह मौजा कुक नगर ग्रन्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा हालपता निकट पुलिस लाइन महिला थाना के पीछे पी०डब्ल्यू०डी० कालोनी थाना को<sup>0</sup> नगर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०—३५५ / २२, धारा ८ / २० एन०डी०पी०एस० ऐक्ट थाना को<sup>0</sup> नगर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 220 ग्राम अवैध चरस।

**गिरफ्तार कर्ता—**

01. उ०नि० संजीव सिंह मय टीम।

